

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली जिला पाली राज.  
अपीलाण्ट :- बनाम रेस्पोंडेण्ट्स :-

1. भवराराम उर्फ भवरलाल पुत्र नेनाराम के कायम मुकाम :-  
अ. मंजू देवी भवराराम  
ब. करण पुत्र भवराराम  
स. नकुल कुमार पुत्र भवराराम  
द. पुजा पुत्री भवराराम  
य. विमला पुत्री भवराराम  
र. सावित्री पुत्री भवराराम  
ल. रिकु पुत्री भवराराम

केवलराम पुत्र चुन्नीलाल जाति  
मेघवाल निवासी मोगराकला लुणी  
तहसील लुणी जिला जोधपुर राज.

जातिगण सरगरा निवासीगण कोठार  
तहसील बाली जिला पाली राज.

2. महेन्द्र कुमार परिहार पुत्र चमनाराम जाति सरगरा निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधासी तहसीलदार बाली तहसील बाली जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : राजस्व अपील संख्या : 16 / 2025

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2025 / 66 )

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  | नम्बर तारीख अहकाम जो इस हु की तामिल में जारी हुयें         |
|-------------|---|--|
| 07-04-2025  | <p>अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील नामान्तरकरण जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांक 05.09.2023 को तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 79/2024 बअनवान केवलराम में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के अनुसरण में ग्राम कोठार के खसरा नम्बर 225 रकबा 2.5800 हैक्टर में से 1/3 वा हिस्सा अपीलाण्ट के नाम इन्द्राज नहीं कर अस्वीकृत कर खारिज करने के विरुद्ध पेश की। अतः अपील दर्ज रजिस्टर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकर्ड तलब हो। रेस्पोंडेण्ट जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली</p> | <p>क्र. 477<br/>दि. 07/04/25<br/>को पत्रावली<br/>जारी।</p> |
| 16/05/2025  | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट उर्फ रेस्पों. संख्या 01 भवराराम उर्फ भवरलाल के कायम मुकाम उन लगायत के सम्मन तामिल बुनिदा की रिपोर्ट अनुसार देने से इनकार की गयी है के साथ</p> <p style="text-align: right;">P.T.O.</p>   | <p>क्र. 649<br/>दि. 20/05/25<br/>को पत्रावली<br/>जारी।</p> |

प्राप्त। जो कि तामीली की श्रेणी में आता है। रस्यो.  
संख्या अलगायल को उपस्थिति हेतु अवसर दिया  
जाता है। रस्यो संख्या 02 व 03 के सम्मन तामीनशुदा  
प्राप्त। उपस्थिति हेतु अवसर दिया जाता है। अधीनस्थ  
न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब करने हेतु तहरीर जारी हो।  
पत्रावली आशंका दिनांक 03/06/2025 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली

27/05/25

M. Srinivasan  
(अपीलाण्ट)  
अधिवक्ता

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस  
पत्र आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण दसगत प्रकरण  
को जरिये विद्रोवल आज ही फैसल करवाना चाहते हैं।  
अतः उक्त प्रकरण की त्वरित तारीख पेशी दिनांक 03/06/25  
से पूर्व आज ही पत्रावली को तलब कर जरिये विद्रोवल  
फैसल करवावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट के निवेदन को स्वीकार  
करते हुए प्रकरण से संबंधित पत्रावली मुकदर पेशी से प्री  
इतबा ही जाकर आज तलब की गई एवं अधिवक्ता  
अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत दोनो प्रार्थना पत्र मिसल  
शुमार किये गये। चूंकि स्वयं अपीलाण्ट जरिये अधिवक्ता  
ने जाहिर किया है कि वे दसगत अपील को आगे नहीं  
चलाकर विद्रो करना चाहते हैं, अतः प्रकरण जरिये विद्रोवल  
स्वीकार किया जाता है। मिसल शुमार फैसल होकर दारियल  
पपतर ही जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली